



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102020-222483
CG-DL-E-15102020-222483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3217]
No. 3217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2020/आश्विन 23, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2020/ASVINA 23, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

सं. 41 / 2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 84 के एक्विजम कोड 84151010 और 84151090 के तहत मदों की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 3629(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 84 के एक्विजम कोड 84151010 और 84151090 के तहत मदों की आयात नीति में संशोधन करती है।

एक्विजम काड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
84151010	स्प्लिट सिस्टम	मुक्त	निषिद्ध	केवल रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर्स का आयात 'निषिद्ध' है
84151090	अन्य	मुक्त	निषिद्ध	केवल रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर्स का आयात 'निषिद्ध' है

3. **अधिसूचना का प्रभाव :** एचएस कोड 84151010 और 84151090 के तहत रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर्स का आयात 'मुक्त' से 'निषिद्ध' किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/23/एएम-20/पीसी-2[क]/ई-23395]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 41/2015-2020

Subject : Amendment in import policy of items under ITC HS Codes 84151010 and 84151090 of Chapter 84 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 3629(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy of items under ITC HS Code 84151010 and 84151090 of Chapter 84 of ITC (HS), 2017, Schedule –I (Import Policy).

ITC HS Code	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Revised Policy Condition
84151010	Split System	Free	Prohibited	Only import of Air Conditioners with refrigerants is 'Prohibited'
84151090	Other	Free	Prohibited	Only import of Air Conditioners with refrigerants is 'Prohibited'

3. **Effect of the Notification:** Import Policy of Air Conditioners with refrigerants under HS Codes 84151010 and 84151090 is amended from 'Free' to 'Prohibited'.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/23/AM-20/PC-2[A]/E-23395]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.